तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
19/9/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से फर्द दस्तावेज तहसीलदार कोटा विधा परिवाद की नकल दिनांक 5/7/2018 पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। बहस की गई जो सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 4/10/24 को पेश हो।
4/x/24.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई- प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थीगण सत्यनारायण एवं अन्य द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-क RTA Act बाबत प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण की खाते की आराजी रानीपुरा में स्थित है जिस पर कृषि करने हेतु आने-जाने हेतु मार्ग नहीं है जिस कारण कृषि कार्य में असुविधा होती है। अतः खसरा नं. 307, 306 व 304 में से स्थायी मार्ग का आवंटन किया जावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया तथा तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।
उपखण्ड अधिकारी ... कोटा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादीगण के खेत रानीपुरा से बडौदिया जाने वाली ग्रेवल रोड से पश्चिम दिशा में स्थित है। ग्रेवल रोड से वादीगणों के खेतों तक पश्चिम दिशा में ख.न. 307/0.24, 306/0.20 हे. भूमि किस्म बंजड सिवायचक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगणों द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में से होकर रास्ता चाहा गया है। साथ ही तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि - 1. उक्त आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। 2. उक्त प्रकरण में नियमानुसार रास्ता दिया जा सकता है। हमने तहसीलदार रिपोर्ट तथा धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में प्रकरणों में निर्धारित किया है कि 251-A का उपयोग उसी परिस्थिति में किया जावे जब रास्ते का आत्यांतिक	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

....मुकाम........................

अज अदालत..बनाम........................

....नं. ....

किस्म मुकदमा..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम तामील
	अभाव हो तथा खेत से खेत मार्ग आवंटित किया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि तत्संबंधित प्रकरण में रास्ते का आत्यन्तिक अभाव है। तथा इस हेतु न्यूनतम मार्ग खसरा नं. 307 में 104 मीटर तथा खसरा नं. 306 में 10 मीटर भी कब्जे में उपलब्ध है। रास्ते का आत्यन्तिक अभाव होने के कारण इन ग्रामीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट में संलग्न नक्शानुसार ग्रामीगण की आराजी तक पहुँच हेतु निवादग्रस्त खसरा नम्बर 306 व 307 में से 5 मीटर (Jire-melu)	

उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (stamp)

उपखण्ड अधिकारी कोर्ट

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
चौड़ाई का रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की DLC दर से गणना कर दो-गुनी राशि ~~राशि~~ राजकोष में जमा करवायी जावे तद्. उपरान्त उक्त भूमि को गैर-मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 5/12/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा	